COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES | COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(124)

श्री अ... ... ...
... ...
... ...
24/7/09

निगरानी - 993-III/09

1- रामस्वरुप तनय महाबीर साहू ।

2- केवल तनय रामलखन साहू दोनों निवासी मांजन कला तहसील व जिला- सिंगरौली म0प्र0 ——— निगरानीकर्तागण

बनाम

1- अजय कुमार पिता कैलास साहू ।

2- संजय कुमार पिता कैलास साहू ।

3- सुनीता पिता कैलास साहू

4- कैलास पिता महाबीर साहू

सभी निवासी ग्राम मांजनकला तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0 ——— गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी बिरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संम्भाग रीवा के आदेश दिनांक-10.6.09 प्रकरण क्रमांक- 319/नि0/08-09

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 ई0.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1- यहकि दो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश बिधि, प्रक्रिया, व प्राकृतिक न्याय के बिपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि विवादित आराजी खसरा क्रमांक 583 रकबा 0.10 हे0 619 रकबा 0.04 हे0 1183 रकबा 0.03हे0 1129 रकबा 0.04 हे0 1103 रकबा 0.03 हे0 1232 रकबा 0.03 हे0 1227 रकबा 0.02 हे0 कुल किता-07 जुमला रकबा 0.29 हे0 स्थित ग्राम मांजन कला.तहसील व जिला सिंगरौली

क्रमशः 2...//पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 993–तीन/2009 जिला–सिंगरौली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२५–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 319/निग0/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि विचारण न्यायालय में अनावेदकगण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से कोई स्थंगन प्राप्त नहीं किया गया था । मात्र यह कह देने से कि माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी, अतः अपील के निराकरण तक तहसील की कार्यवाही स्थगित रखी जावे और तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण की कार्यवाहीं रोक दी गई, जो उचित नहीं था। अपर कलेक्टर सिंगरौली के	

द्वारा अपे आदेश में ठीक ही निष्कर्ष निकाले गये है, जिसके कारण उनके द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । मात्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर करने के आधार पर स्थंगन नहीं दिया जा सकता ।

5/ इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अनुकूल है । विचारोपांत प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य